

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक

संचिका संख्या-08/आ०-05-21/2023/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 1665 दिनांक 13.05.2023 एवं पत्रांक 1170 दिनांक 16.02.2024 द्वारा श्री हरेराम सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, आदापुर-सह-प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, छौड़ादानों, पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध सोशल मिडिया पर वायरल ऑडियो द्वारा भ्रष्टाचार करने, कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्राप्त आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017 के अनुरूप नहीं रहने के कारण पुनः उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

निदेशालय के पत्रांक 322 दिनांक 18.04.2024 द्वारा उक्त आरोप पत्र पर श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, आदापुर, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 229 दिनांक 30.04.2024 द्वारा बचाव अभिकथन उपलब्ध कराया गया। श्री सिंह से प्राप्त बचाव अभिकथन पर निदेशालय के पत्रांक 425 दिनांक 21.05.2024 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से मंतव्य की मांग की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 4419 दिनांक 13.07.2024 द्वारा श्री सिंह के मामले में अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 4171 दिनांक 28.06.2024 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध बंशीधर उच्च विद्यालय, आदापुर के जर्जर भवन को तोड़वाने का प्रयास नहीं करने, प्रखंड आदापुर अवस्थित विद्यालयों के शौचालय एवं विद्यालय भवन की साफ-सफाई पर ध्यान नहीं देने, बंशीधर उच्च विद्यालय, आदापुर में BSEIDC द्वारा निर्मित समर्सिबल (बोरिंग) बंद हो जाने की सूचना विभाग को नहीं देने, वर्ग संचालन एवं विद्यालय समय सारणी पर ध्यान नहीं देने, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चैनपुर प्रखंड आदापुर में बच्चों के हाथ धोने वाले प्लेटफार्म बेसिन निर्माण मानक के अनुरूप कार्य नहीं करवाने, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चैनपुर प्रखंड आदापुर के वर्ग 5 के बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तक का वितरण नहीं करवाने, प्रखंड आदापुर के विद्यालयों का सतत मूल्यांकन नहीं करवाने एवं प्राथमिक विद्यालय, भैरवा टोला में बच्चों को FLN कीट का उपयोग नहीं कराने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। निदेशालय के पत्रांक 1163 दिनांक 26.12.2024 प्राप्त आरोप पत्र पर श्री सिंह से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी।

उक्त के अनुपालन में श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन पर निदेशालय पत्रांक 425 दिनांक 21.05.2024 एवं पत्रांक 180 दिनांक 19.02.2025 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गयी। तदालोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 645 दिनांक 18.03.2025 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह से प्राप्त बचाव अभिकथन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत उक्त मामले में विस्तृत जाँच कि आवश्यकता प्रतीत हुई। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 715 दिनांक 21.07.2025 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी-सह-क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 140(उच्च) दिनांक 08.09.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या 03 से 12 तक को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया। आरोप संख्या 01 एवं 02 वायरल ऑडियो क्लिप से संबंधित है परन्तु ऑडियो क्लिप की अनुपलब्धता के कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य नहीं दिया गया है। प्राप्त आरोप पत्र में साक्ष्य के रूप में ऑडियो क्लिप अंकित रहने एवं उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 1098 दिनांक 16.10.2025 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से ऑडियो क्लिप की मांग की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 195 दिनांक 15.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त ऑडियो क्लिप की द्वितीय प्रति उपलब्ध नहीं है। जबकि पूर्व में आरोप पत्र के साथ ऑडियो क्लिप संलग्न कर उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस आशय का पत्राचार भी किया गया। जिला द्वारा प्रतिवेदित है कि संबंधित लिपिक से इस संबंध में स्पष्टीकरण किया गया है।

निदेशालय के पत्रांक 655 दिनांक 08.05.2026 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या 03, 04 एवं 10 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य पर असहमति का बिन्दु अंकित करते हुए श्री सिंह से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

असहमति के प्रथम बिन्दु पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि वंशीधर उच्च विद्यालय आदापुर के जर्जर भवन को ससमय नहीं तोड़वाने के संबंध में स्पष्ट करना है कि उनके द्वारा भवन को तोड़ने हेतु निर्देश दिया जाता था परन्तु इससे संबंधित सारे पत्र उच्चाधिकारियों के समक्ष लंबित होने के कारण उनके स्तर से अग्रेतर कारवाई नहीं की जा सकी। निरीक्षण के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक का मौखिक आदेश प्राप्त होते ही जर्जर भवन तोड़वा दिया गया। उनके स्तर से इसमें कोई शिथिलता नहीं बरती गयी थी।

असहमति के दूसरे बिन्दु पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि निरीक्षण के दिन विद्यालय में लगने वाली गंदगी वर्षा तथा जल जमाव के कारण थी। विद्यालय में नियमित सफाई की जाती थी, जिसका निर्देश उनके द्वारा लगभग सभी निरीक्षणों में दिया जाता था। उनके द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न की गयी है।

असहमति के तीसरे बिन्दु पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि FLN कीट का प्रयोग विद्यालय में करने हेतु CRC स्तरीय VC, BRC स्तरीय गुरुगोष्ठी एवं निरीक्षण के क्रम में भी दिया जाता था। प्राथमिक विद्यालय, भैरवा टोला, भवानीपुर पंचायत में

अवस्थित है। उस समय विद्यालयों का जॉच निर्धारित रोस्टर के अनुसार किया जाता था। उपविकास आयुक्त पूर्वी चंपारण द्वारा निर्धारित 10.06.2024 के निरीक्षण रोस्टर के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, भैरवा टोला का निरीक्षण की जिम्मेवारी बिहार शिक्षा परियोजना के कनीय अभियंता तथा डाटा ऑपरेटर MDM को दिया गया था। इन लोगों के द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में कभी भी FLN कीट का प्रयोग नहीं किये जाने की टिप्पणी नहीं की गई थी। इस कारण इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई थी। FLN कीट का प्रयोग नहीं करने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण द्वारा प्राथमिक विद्यालय, भैरवाटोला के प्रधानाध्यापक से कारण पृच्छा की गई थी (श्री सिंह द्वारा प्राथमिक विद्यालय, भैरवा टोला का निरीक्षण पंजी की सत्यापित प्रति संलग्न किया गया है)।

प्राप्त लिखित अभ्यावेदन एवं संदर्भित संलग्न साक्ष्य के अवलोकनोपरांत आरोपी पदाधिकारी का लिखित अभ्यावेदन विचारयोग्य है। अतः समीक्षोपरांत श्री हरेराम सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, आदापुर, पूर्वी चम्पारण-सम्प्रति-सेवानिवृत्त को उक्त आरोपों से मुक्त किया जाता है।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/-

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक-08/आ०-05-21/2023-1083 पटना, दिनांक 30.09.2024

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा-17/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), पूर्वी चम्पारण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री हरेराम सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, आदापुर, पूर्वी चम्पारण-सम्प्रति-सेवानिवृत्त, आवासीय पता:-पिता-सुखराम सिंह, ग्राम-हरदीया, थाना-चौथम, पोस्ट-बलहा बाजार, जिला-खगड़िया-851214/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)